

पत्रांक ४४० /३ स्थ० (२० अ०.)
सेवा में,

दिनांक ०२ / ०२ / २०१६

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- चितई पन्त तिराहे से हरिदत्त पेटशाली रा०इ०का० मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव सं० ९२२० / २०१५)

संदर्भ:- कार्यालय वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा का पत्रांक-१३११ / १२-१ दिनांक ०१.१०.२०१५।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा ११ बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है। आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है-

बिन्दु सं० १- परियोजना का औचित्य एवं आवश्यकता का प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं० २- मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लीज में भूमि नहीं ली जाती है। इसका प्रमाण पत्र तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं० ३- नोट फॉर जस्टिफिकेशन प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं० ४- मोटर मार्ग के शासनादेश की प्रति प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु सं० ५- क्षतिपूरक वृक्षारोपण का गूगल मानचित्र तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं० ६- वनाधिकार अधिनियम २००६ के प्रमाण-पत्र में दिनांक अंकित कर दी गयी है।


बिन्दु सं० ७- क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में जी०पी०एस० अंकित कर हार्ड कापी प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु सं० ८- क्षतिपूरक वृक्षारोपण १० वर्षों की रख-रखाव योजना तैयार कर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु सं० ९- इस बिन्दु द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।

बिन्दु सं० १०-०.२७ह० फॉरेस्ट लैण्ड को मक डिस्पोजल प्लान में लिया गया है।


बिन्दु सं० ११-वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के समरेखन से बिन्सर अभ्यरण्य की दूरी का प्रमाण-पत्र तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०भाग, अल्मोड़ा

पत्रांक /३सी.(व.भू.)

दिनांकित।

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता नोडल, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०भाग, अल्मोड़ा

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवधकता

किम्बद संरक्षा - ।

1: कार्य का नाम:-

जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरीदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।

2: कार्य की वास्तविक लम्बाई:-

6.00 किमी०

3: कार्य की लागत:-

Rs. 200.16 लाख

4: आगणन गठित करने का संदर्भ:-

शा०सं०— 572 / ॥॥(2) / 2006—08 प्रा०आ० / 06 दि० 28.03.2006 के अनुपालन में।

5: लोक सभा क्षेत्र का नाम:-

अल्मोड़ा-पिथौरागढ़

6: विधान सभा क्षेत्र का नाम:-

52—अल्मोड़ा

7: लाभान्वित ब्लाक के नाम:-

हवालबाग

8: लाभान्वित ग्रामों का नाम/कोड सं:-

क०सं०	ग्राम का नाम	जनसंख्या
1	चितई तिवाड़ी	287
2	चितई पन्त	348
3	मन्योली	59
4	पूनाकोट	561
5	पेटशाल बाड़ी	35
	योग	1290

9: आगणन के मुख्य प्राविधान:-

मोटर मार्ग का नव निर्माण।

10: कार्य विषयक विस्तृत आख्या:- उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शा०दे०—572 / ॥॥(2) / 2006—08 प्रा०आ० / 06 दि० 28.03.2006 द्वारा किमी० 8.00 लम्बाई हेतु **Rs. 200.16 लाख** की प्राप्त हुई है, मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर दोनों समरेखनों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है—

समरेखन 1:- इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है० 4—6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी० भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 13 है० 4—6 नौले के पास समाप्त होता है। मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी० आती है, परन्तु इस 2.00 किमी० का समरेखन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा का पत्रांक—1076 / 769सी० दि० 05.05.2003 द्वारा स्वीकृत है एवं वन भूमि भी स्वीकृत है। इस पूरे समरेखन में 04नं० 15मी० स्पान, 01नं० 6मी० स्पान, 01नं० 8मी० स्पान तथा 01नं० 12मी० स्पान के पुल बनाने पड़े तथा मार्ग में 6 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।


समरेखन 2:- इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 10 है० 4—6 से (चितई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी० भाग से होते हुए ग्राम चितई पन्त, चितई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी० 13 है० 4—6 नौले के पास समाप्त होता है। इस पूरे समरेखन में 03नं० 15मी० स्पान, 01नं० 6मी० स्पान, तथा 01नं० 12मी० स्पान के पुल बनाने पड़े तथा मार्ग में 10 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है तथा समरेखन की लम्बाई अधिक है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उक्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनाज, सब्जी फल आदि का उत्पादन होता है, परन्तु सड़क न होने से स्थानीय जनता का विपर्णन का कार्य नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा जिला पर्यटन की दृष्टि से भी अग्रणीय है। सड़क बनाने से इस क्षेत्र में पर्यटन की भी सम्भावनाएँ हैं। सड़क की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण जनता को यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त ग्रामों को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है।

समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराये जायेंगे।

उपरोक्त गुण-दोष के आधार पर लाल रंग से दर्शाया गया समरेखन सं०—१ तकनीकि एवं उपर्युक्ता की दृष्टि से अधिक उपर्युक्त होने के कारण अनुमोदन हेतु संस्तुति कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।



सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा


अभियन्ता अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पन्त तिराहे से (हरि दत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण। (ल0 6.00 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि लीज में नहीं ली जाती है मोटर मार्ग का निर्माण हमेशा के लिए किया जाता है।


अधिकारी अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

ठिकाना संख्या-३

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितर्ई पंत तिराहे से (हरीदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।
(लम्बाई 6.00 किमी)

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्राम चितर्ई तिवाड़ी, चितर्ई पन्त, मन्योली, पूनाकोट तथा पेटशाल बाड़ी ग्रामों से होकर गुजरता है जिनकी आबादी **1290** है। यह मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी 10 है 0 4-6 से प्रारम्भ होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिये दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात् उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन-पालन तथा पठन-पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूर हो पाएंगी। गांव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के और नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्तपादित फल, सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पाएंगे साथ ही गांव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह समरेखन सिविल भूमि (राज्य भूमि) तथा नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। समरेखन के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी है तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर ली गई है। मार्ग के निर्माण में **1.99875** है 0 सिविल भूमि, **0.170** है 0 वन पंचायत भूमि, **0.270** है 0 आरक्षित भूमि भूमि (कुल 2.43875 है 0 भूमि) तथा नाप भूमि **2.96125** है 0 प्रभावित होती है उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम समरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन 1:- इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी 0 10 है 0 4-6 से (चितर्ई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी 0 भाग से होते हुए ग्राम चितर्ई पन्त, चितर्ई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी 0 13 है 0 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। मार्ग की लम्बाई 7.700 किमी 0 आती है, परन्तु इस 2.00 किमी 0 का समरेखन अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो 0 निर्माण, अल्मोड़ा का पत्रांक-1076 / 769 सी 0 दि 0 5.05.2003 द्वारा स्वीकृत है एवं वन भूमि भी स्वीकृत है। इस पूरे समरेखन में 04नं 0 15मी 0 स्पान, 01नं 0 6मी 0 स्पान, 01नं 0 8मी 0 स्पान तथा 01नं 0 12मी 0 स्पान के पुल बनाने पड़े तथा मार्ग में 6 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं।


समरेखन 2:- इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी 0 10 है 0 4-6 से (चितर्ई पन्त) हरीदत्त पेटशाली द्वारा निर्मित मार्ग के प्रारम्भिक 125मी 0 भाग से होते हुए ग्राम चितर्ई पन्त, चितर्ई तिवाड़ी ग्राम दमोड़ा, मन्योली, पाताल देवी को जोड़ते हुए पेटशाल में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी 0 13 है 0 4-6 नौले के पास समाप्त होता है। इस पूरे समरेखन में 03नं 0 15मी 0 स्पान, 01नं 0 6मी 0 स्पान, तथा 01नं 0 12मी 0 स्पान के पुल बनाने पड़े तथा मार्ग में 10 हेअरपिन बैंड है, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है तथा समरेखन की लम्बाई अधिक है। इस समरेखण के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं 0 2 को निरस्त कर समरेखण 01 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 2.43875 है 0 भूमि प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी 0 तथा चौड़ाई 9.00 मीटर में ली गई हैं। उक्त भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रस्तावित सिविल भूमि (राज्य भूमि) का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।


कनिष्ठ अभियन्ता
नि.ख.लो.नि.वि
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
नि.ख.लो.नि.वि
अल्मोड़ा


अधिशासी अभियन्ता
नि.ख.लो.नि.वि
अल्मोड़ा

राजसनाकेश संख्या- ५७२/ ११(२) / ०६-०८(प्रा.आ.) / ०६ दिनांक २३ मार्च, २००६ का संलग्नक
(धनराशि त्राख रुपये गे)

क्र. सं.	कार्ग का नाम	लागाई (वेगी. रो.)	अनुगानित लायत	टी.ए.रो. वित्त द्वारा आंकित राशि	वित्तीय वर्ष 2005 —०६ गे वर्या की रवीकृति
1.	पैगीताल में रानीयाप-भवाली गोटर गार्ग के किमी० ५ से ३१ में पैरापिट रिटेनिंग चाल, ऐलीनेटर इत्यादि	—	51.00	51.00	0.01
2.	हेल्पानी में गांग हिमातपुर गल्ला के अंतरिक गार्ग	3.00	42.60	42.60	0.01
3.	बापेश्वर में कल्याणीताल, कौसानी रो गांग रमीगा लतोलिया तक गोटर गार्ग निर्माण	5.00	69.50	69.50	0.01
4.	पोडी में फूलचट्टी रो कोटा तक गोटर गार्ग	9.00	222.25	219.40	0.01
5.	रायपुर-खादर-ज़िशागाला-फिल्डस्याला-नेहररुद्यागा गोटर गार्ग का पुनः निर्माण एवं रुधार	6.00	111.64	109.00	0.01
6.	मराठखाल-पुल्यासू-हतिण्डा गोटर गार्ग को २ किमी० एल.वी.आर को गोटर गार्ग में विरतार (द्वारीखाल)	7.00	172.50	172.50	0.01
7.	धीपलचोरा-कोलगाड गोटर गार्ग का विरतार (ज़िशीखाल)	5.00	69.50	69.50	0.01
8.	अल्मोड़ा घाट गोटर गार्ग चिताई पंत तिराहे रो (हरी दरा पेटशालो इटर कालज रो आग) प्रेटशाल तक ऐक्सिक गार्ग	8.00	296.36	200.16	0.01
9.	नीमीताल में लोपर शेर का ढाँडा थोक्के में कपूर लॉज तक फूल गार्ग निर्माण		6.32	5.85	0.01
10.	रथ० अमरनाथ वांगा (पांडल कालानी गे) रो.रो. गार्ग निर्माण	0.150	3.82	3.75	0.01
11.	अल्मोड़ा में धोतादेवी विठ्ठ० के अन्तर्गत कुशील देण्ड रो चोली-झिंयोली गार्ग का निर्माण	5.00	122.75	89.00	0.01
12.	पोडी के अन्तर्गत गाराखाल-चारी गोटर गार्ग	1.00	13.90	13.90	0.01
13.	पदोखा-चलमंगा में झूलापुल	90मी०	87.30	87.30	0.01
14.	गिलकना के अन्तर्गत हैडी धैण्ड रो रोग-कफोलगांव गोटर गार्ग	5.00	65.20	65.20	0.01
15.	बकरेडा हल्का बाहन लिंक गार्ग को मोटर गार्ग में परिवर्तन	3.25	17.55	17.55	0.01
16.	जगपद पोडी में पैडी विधान रामा थोक्के के अन्तर्गत छोम, श्रीकोट चाणपाखाल, हुलाकीखाल गोटर गार्ग गार्ग का चौड़ीकारण एवं विरतारीकरण	13.00	223.50	166.50	0.01
17.	जगपद पोडी में ढावखाल, अन्दररो जाव गोटर गार्ग का चौड़ीकारण एवं विरतारीकरण	4.00	—	—	—

कोये पर्वि मानपित

सहायक आधिकारी।
विर्माण खण्ड, लालनान०
बहसाडा।

सम्मापिते योग

अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के विर्तुई तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इंटर कालेज से आगे)
पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग (ल0 6.00 किमी)

1:50,000



79°28'0"E

79°29'0"E

79°30'0"E

79°31'0"E


79°32'0"E

N

Legend

Plantation Zone

अल्मोड़ा-धाट मोटर मार्ग के चितर्दृश्याली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मार्ग (लग 6.00 किमी)



परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य।
 • (लम्बाई 6.00 किमी)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पंचम

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील-

जिला—अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हेतु आरक्षित वन भूमि 1.99875 हेतु शिवित सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हेतु अर्थात् कुल 2.243375 हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग नियाय/संस्था के पक्ष में सारत सरकार पर्यावरण एवं वन गंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रत्युत किया गया। उक्त पक्षण के विषय में ग्राम पंचायत चिन्ह-पत्र द्वारा दिनांक के सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विरत्त चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधिकों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिक्त सभी ग्रामवासियों द्वारा रप्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हगन नहीं हो रहा है। चर्चा के समान्तरा ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से नियंत्रण लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चितई ग्रामी, चितई पन्त, मन्दोली, पूनाकोट, पेटशाल, बाड़ी, आमोदू, ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लोनिओवि, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।
 एवं एवं एवं एवं एवं एवं
 किया गया। एवं एवं एवं
 एवं एवं एवं एवं

ग्राम सभिक जिला अधिकारी को हेतु वन भूमि

प्रमाणित करने के तहत अनिवार्य वन भूमि/कृषि कार्य है अथवा नहीं। लापित करने

परियोजना के लिये आविष्कारी वन भूमि

एवं इसे अविष्कार वन भूमि के लिये लापित करने के लिये वन भूमि

एवं अविष्कार वन भूमि के लिये लापित करने के लिये वन भूमि

ग्राम प्रधान

मणि V. Pint

ग्राम प्रधान चितई पन्त
प्रमाणित करने के लिये

परियोजना का नाम— जनपद अल्पोड़ा में चिरई पन्त तिरहे से हरी दत्ता
पैदलाल इंटर कालेज पेटशाल तक लिंक गार्ड का निर्माण कार्य।
(बास्काई 6.00 किमी)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्राप्ति पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम—

तहसील— जिला—अल्पोड़ा

अनापत्ति प्राप्ति पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्पोड़ा में चिरई पन्त तिरहे से हरी दत्ता
पैदलाल इंटर कालेज पेटशाल तक लिंक गार्ड का निर्माण कार्य (बास्काई 6.00 किमी)
पैदलाल इंटर कालेज पेटशाल तक लिंक गार्ड का निर्माण कार्य (बास्काई 6.00 किमी)
वन अधिकार वन भूमि 0.2700 हेतु आरक्षित वन भूमि 1.99875 हेतु सिविल सोराम भूमि तथा
विमानगार के निर्माण हेतु 0.17 हेतु अर्थीत वन भूमि 2.43375 हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विमान
विमान/संरक्षा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पत्यावर्तित करने हेतु
आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत इंटर किसी द्वारा दिनांक
को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत को बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
मुख्य में अनापत्ति प्राप्ति करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वस्तु अधिकार
विमान/संरक्षा के अधिकारी वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
अधिनियम, 2006 के प्राविधिकों के तहेत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। रूपरेखा सभी ग्रामवासियों द्वारा रूपरेखा किया
गया कि सबसे वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं
गया कि सबसे वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं
गया। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के
पूर्वानुमति अधिकारी का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से
प्राप्तिगत अधिकारी का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से
निर्णय लिया गया। प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चिरईसिंहारी, चिरई चन्द्र मन्योली,
पूर्वानुमति, ग्राम वासी ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड,
पूर्वानुमति, अल्पोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति
नहीं है।

प्राप्ति किया जो सत्य ऐसी ही।

ग्राम पंचायत अधिकारी लिखते हैं।

ग्राम पंचायत अधिकारी
विवेक लाल हुडावामा
लाल अल्पोड़ा

ग्राम संस्कृतकालीन विवेक लाल हुडावामा

प्रपत्र-23.1/प्राप्ति-304

दिनांक ११/०९/२०१५ को ग्राम सभा की राष्ट्रना वेठक की स्थिति
ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में स्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१.	कुमार सम	कुमार सम
२.	लोकेश राज	लोकेश राज
३.	पद्म राज	पद्म राज
४.	मोहन बुगर	मोहन बुगर
५.	मित्र राज	मित्र राज
६.	प्रसाद राज	प्रसाद राज
७.	मिशन लोकेश	मिशन लोकेश

ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत

D.
ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत का एक समाज
निकाय : युक्त व्यापार व्यापार
निकाय : संगठन

दिनांक २५/१/२०१८ को ग्राम रामा की सम्पन्न केतक की उपरिथिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम रामा में उपरिथित वरिष्ठ ग्रामनायियों के नाम	हस्ताक्षर
१	श्रीमति लक्ष्मी नाथ	(लक्ष्मी नाथ)
२	मुख्यमन्त्री श्रीमति विजय बहादुर	(विजय बहादुर)
३	मुख्यमन्त्री श्रीमति विजय बहादुर	(विजय बहादुर)
४	मुख्यमन्त्री श्रीमति विजय बहादुर	(विजय बहादुर)
५	मुख्यमन्त्री श्रीमति विजय बहादुर	(विजय बहादुर)
६	मुख्यमन्त्री श्रीमति विजय बहादुर	(विजय बहादुर)
७	मुख्यमन्त्री श्रीमति विजय बहादुर	(विजय बहादुर)
८	मुख्यमन्त्री श्रीमति विजय बहादुर	(विजय बहादुर)
९	मुख्यमन्त्री श्रीमति विजय बहादुर	(विजय बहादुर)
१०	मुख्यमन्त्री श्रीमति विजय बहादुर	(विजय बहादुर)

ग्राम पंचायत का एक समिक्षक
भौति-वित्तीय समिक्षक
ग्राम पंचायत का एक समिक्षक

ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत का एक समिक्षक
ग्राम पंचायत का एक समिक्षक (विजय बहादुर)

प्राप्ति-23.1 / प्रारंभ-30.8

दिनांक 11/09/2014 को ग्राम राया की राष्ट्रीय वैदिक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम राया में उपस्थित वैदिक ग्रामवासियों के नाम	उत्तराधिकार
1.	बिल्ली	19917/103
2.	लाल	21102/103
3.	बिल्ली	19905/103
4.	बिल्ली	20114/103
5.	बिल्ली	19904/103
6.	बिल्ली	20115/103
7.	बिल्ली	20116/103
8.	बिल्ली	20117/103
9.	बिल्ली	20118/103

ग्राम पंचायत वैदिक ग्रामवासी
बिल्ली वैदिक ग्रामवासी
दिनांक 11/09/2014 (ग्रामपाल)

D.
ग्राम पंचायत वैदिक ग्रामवासी
बिल्ली वैदिक ग्रामवासी
दिनांक 11/09/2014 (ग्रामपाल)
लाल - अधिकारी

परियोजना का नाम— ज्ञापद अल्पीड़ा में चिरई पर रिसाहे से हरी दस्त
प्रदर्शन घटना कालेज प्रदर्शन तक विकास का निर्माण कार्य।
(त्रिव्याहु 6.00 किमी)

कायदिय रूप जिलाधिकारी,

अन्युग्मित जनजाति और परपारांगत वनवारी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र संपत्ति रसरीय रामिति,

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवारी (वन अधिकारी की मान्यता) अभिनियम 2006 एवं नियम 2003 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की वैठक अध्यापकों में से उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यापता में आयोजित की गयी। वैठक में पाचनीय संदर्भों की उपरिथिति निम्नानुसार है।

- १- श्री मनि रेक्षा लिंगम... उपजिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष
 - २- श्री याचत सिंह जीवा, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदरस्य
 - ३- रामायक सापाज कल्याण अधिकारी, मालिङ्गे... सदस्य/राचिव
 - ४- श्री चंद्र लिंगम... वीठी०सी० शेत्र लिंगम, लिंगम यादस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय राजस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय राजस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्पोद्धा में चित्तइ पन्थ तिराने से हरी झत्त पेटशाल इन्टर कालेज पेटशाल चक लिंक मार्ग का विमर्श कार्य निर्खो, लोनिर्खो, अल्पोद्धा (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पथ में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रत्याक माननीय राजस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभी के अन्तर्गत व्याधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संवधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर शार्वजनिक लम्पयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुरोध की गई है।

रावंधित रूप प्रमाणीय जनाधिकारी, अल्पोद्धा वन प्रमाण, अल्पोद्धा, द्वारा अनुसूचित जननाति एवं अन्य परमाणुत वन विवाही (वन विधिकारों की पान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्समक्षी नियम 2006 के प्राविधान को संपूर्ण करते हुए जानकारी से गान्धीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आयोदन पर ग्रहित नहीं किया गया है। इस रूपमें ग्राम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आयोदन पर ग्रहित नहीं किया गया है। अतः प्रकल्प में लपेखण्ड रत्तीय वन अधिकार समाप्ति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में रार्वसम्मति से उपखण्ड परिषेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्पोडा
में नियमीय पन्त तिराहे से हरी दस्त पैदशाल इंटर कालेज पैदशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण
कार्य (तथा ८८८.६.०० किमी) परियोजना के निर्माण हेतु २,४३८७५ दो वर्ष भूमि नियमीय ८० लो०नी०वि०,
अल्पोडा प्रयोगक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी रौ अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने
पर सहमति लाना की गयी।

०८

सप्त नियमीयकारी/आद्यका
उपखण्ड रत्नीयोंचै अधिकार रामिति
तहसील— जनपद अल्पोडा

प्रतिशिखा : जिलाधिकारी, अल्पोडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

०९

सप्त नियमीयकारी/आद्यका
उपखण्ड रत्नीय तना अधिकार रामिति
तहसील— जनपद अल्पोडा

V.C

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

Dated, 1-12-14.....

No.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.43875 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division P.W.D, Almora for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road in Almora district falls within jurisdiction of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli, Punakot, Petshali village (s) in Almora talukas

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.43875 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli, Punakot, Petshali villages (s) is enclosed as annexure
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (c) of the FRA: NA

Enck: As above

Vinod Kumar
012316
Vinod Kumar
District Collector, Almora

*RECEIVED
12/12/2014
ALMORA DISTRICT COLLECTOR'S OFFICE*

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

Dated, 11.12.14.....

No.

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.43875 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction Division P.W.D. Almora for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiwaha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road in Almora district** falls within jurisdiction of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli, Punakot, Petshal village (s) in Almora taluka.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.43875 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA: YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli, Punakot, Petshal villages (s) is enclosed as annexure
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Enccl: As above

..... for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA: YES
..... each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli, Punakot, Petshal villages (s) is enclosed as annexure

Vinod Kumar Singh
01/12/14
Vinod Kumar Singh
District Collector, Almora

9154-30-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under Schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 01/12/16.....at time 11.00 AM at Almora in which application claiming rights in Chatai Pant area measuring 2.43875 acre, for the Construction of Link Motor Road from Chatai Pant (Giraha to Hari datt Pashali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

Date FRA, 2006 was held under the

Chairman
Deputy Commissioner, Almora

which application claiming rights

Deputy Commissioner, Almora

District Level Committee

vinod

01/12/16

of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions,

no objection/claims were found to have been made & hence District level committee

recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

After scrutiny of the documents and detailed discussions,

no objection/claims were found to have been made & hence District level committee

प्रष्ठा-42

परियोजना विवरण :- जनपद अल्पोड़ा में अल्पोड़ा-घाट मोटर गार्म के चिताई पंत तिराहे रो (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज रो आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर गार्म। (लाबाई 6.00 किमी)

शिपुरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र शिपुरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम :- ग्राम कालनू		क्षेत्रफल (हेक्टर)	4.88	
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (1100 पौधे / हेक्टर)		5368	1100	
क्रमांक रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (हेक्टर / हेक्टर)	कार्य का नाम	इकाई (हेक्टर / रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या)	इकाई दर (रुपये)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं रीमाकन	4.8800	97.00	473.36
2	बोत्र की राफाई (हाड़ी कटान आदि कार्य)	4.8800	584.00	2849.92
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फनिसग)	4.8800	2516.85	12282.23
4	मूदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधिक	4.8800	7540.00	36795.20
5	गढ़डा खुदान ($0.30 \times 0.30 \times 0.45$)	5368	7.30	39186.40
6	निरीक्षण विद्या विभाग	4.8800	485.00	2366.80
7	पौधों का मूल्य	5368	6.85	36770.80
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार रोज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	4.8800	400.00	1952.00
9	अन्य कार्य	4.8800	400.00	1952.00
योग :- (प्रथम चरण)				134628.71
द्वितीय चरण				
1	गढ़डा खसन ($0.30 \times 0.30 \times 0.45$)	5368	1.15	6173.20
2	पौधों का मूल्य	5368	1.15	6173.20
3	पौध ढुलान कार्य	5368	6.39	34301.52
4	पौधा सेपण व शावलावन्दी	5368	2.06	11058.08
5	निराई, युडाई व महिंग (दो बार)	5368	0.76	4079.68
6	खाद व दवा पर व्यय	4.8800	420.00	2049.60
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	12 Month	6000.00	72000.00
8	वृक्षारोपण दोत्रों के अन्तर्गत			
8.1	सूखे घास फूस एवं जलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हेक्टर	4.8800	445.00	2171.60
8.2	सुरक्षा दीवाल/घेरवाह के बाहर 4000 की पट्टी साफ करना	4.8800	450.00	2196.00
8.3	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले यामीणों को अग्नि सुरक्षा जायजगता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु वामितायों/ समितियों को प्रोत्साहन देना	4.8800	500.00	2440.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि किये वृक्षारोपण के समय वर्ष के बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फोन्ट रत्तीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेकूमेंटेशन आदि कार्य	4.8800	487.00	2376.56

10	अन्य कार्य		4,8800	500.00	2440.00
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				147459.44
	वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00	
2	2.1 वृक्षारोपण शेत्रों के अन्तर्गत यूखे धास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना पड़ता है।	4,8800	450.00	2196.00	
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	4,8800	270.00	1317.60	
	2.3 वृक्षारोपण यों लापान्वित होने वाले गामीणों को अभिन सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अभिन सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रत्याहन देना	4,8800	300.00	1464.00	
3	अन्य कार्य		4,8800	300.00	1464.00
	योग :- (प्रथम वर्ष रख-रखाव)				78441.60
	वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00	
2	अन्य कार्य		4,8800	300.00	1464.00
	योग :- (द्वितीय वर्ष रख-रखाव)				73464.00
	वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00	
2	अन्य कार्य		4,8800	300.00	1464.00
	योग :- (तृतीय वर्ष रख-रखाव)				73464.00
	वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00	
2	अन्य कार्य		4,8800	300.00	1464.00
	योग :- (चतुर्थ वर्ष रख-रखाव)				73464.00
	वृक्षारोपण का पांचवे वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00	
2	अन्य कार्य		4,8800	300.00	1464.00
	योग :- (पांचवे वर्ष रख-रखाव)				73464.00
	वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00	
2	अन्य कार्य		4,8800	300.00	1464.00
	योग :- (छठे वर्ष रख-रखाव)				73464.00
	वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00	
2	अन्य कार्य		4,8800	300.00	1464.00
	योग :- (सातवें वर्ष रख-रखाव)				73464.00
	वृक्षारोपण का आठवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त आठवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	6000.00	72000.00	
2	अन्य कार्य		4,8800	300.00	1464.00
	योग :- (आठवें वर्ष रख-रखाव)				73464.00

वृक्षारोपण का नवे वर्ष का रख-रखाव				
1 सेप्टेम्बर के उपरान्त छठे वर्ष में अनुसंधान कार्य	12 Month	6000.00	72000.00	
2 अन्य कार्य	4.8800	300.00	1464.00	
योग :- (नवे वर्ष रख-रखाव)			73464.00	
वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रख-रखाव				
1 सेप्टेम्बर के उपरान्त रातवे वर्ष में अनुसंधान कार्य	12 Month	6000.00	72000.00	
2 अन्य कार्य	4.8800	300.00	1464.00	
योग :- (दसवें वर्ष रख-रखाव)			73464.00	
कुल योग :-			1021705.75	
या :-			1021700.00	

नोट :- उक्त अंकित दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि रत्त ही मानी जायेगी

कृष्ण विकारी, राजीवेत
ललोडा वनभाग

कृष्ण विकारी,
धर्मोद्धा वन विभाग, राजपोहा

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चिताई पंत तिराहे से
 (हरिदत्त पेटषाली इण्टर कालेज से आगे) पेटषाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।
 (लम्बाई 6.00 किमी)

धातिपूरक वृक्षारोपण रथल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि धातिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित
 कालन्ू सिविल भूमि रथल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

प्रभागीय वनाधिकारी

वन विधिकारी शमीखेत
 अल्मोड़ा वन प्रभाग

वन विधिकारी शमीखेत
 अल्मोड़ा वन प्रभाग

वन विधिकारी,
 अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रमाण-पत्र

खिंड संख्या-10

कार्य का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पन्त तिराहे से (हरि दत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण। (ल0 6.00 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि 0.27है0 आरक्षित भूमि को मक डिस्पोजल प्लान में सम्मिलित किया गया है। मक डिस्पोजल प्लान मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है।


अधिशासी अभियन्ता
निख0, लोनिवि0,
अल्मोड़ा

परियोजना विवरण — जनपद अल्पोड़ा में अल्पोड़ा-माट मोटर गार्ड के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर गार्ड। (लम्बाई 6.00 किमी०)

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/चन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रगाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित न भुग्नि किसी राष्ट्रीय पार्क/चन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की ओपरेशन राष्ट्रीय पार्क/चन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 45 किमी० है।

**अतिरिक्ताधिकारी
प्रधानीय अभ्यारण्य
प्रशासन उपायकारी
अल्पोड़ा वन बोर्ड, अल्पोड़ा**

**प्रधानीय अभ्यारण्य
प्रशासन उपायकारी
अल्पोड़ा वन बोर्ड, अल्पोड़ा**

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के चितई पंत तिराहे से
(हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज से आगे) पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।
(लम्बाई 6.00 किमी)

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव
/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त
विवरण।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

ग) परियोजना की लागत।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने
का औचित्य।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जानेके लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संभावना है।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण:

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के
परिवारों की संख्या

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने
के लिए)

जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर
मार्ग के चितई पंत तिराहे से (हरिदत्त
पेटशाली इण्टर कालेज से आगे)
पेटशाल तक वैकल्पिक मोटर मार्ग।
(लम्बाई 6.00 किमी)

संलग्न है।

रु0 200.16 लाख

इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों का
सर्वेक्षण किया गया। तकनीकी कारणों
से वैकल्पिक स्थानों पर मार्ग निर्माण
करना सम्भव नहीं है।

आवश्यकता नहीं है।

मार्ग निर्माण से क्षेत्रीय ग्रामीणों को
रोजगार मिलेगा।

सिविल भूमि	1.99875 है0
आरक्षित वन भूमि	0.27000 है0
वन पंचायत भूमि	0.17000 है0
योग	2.43875 है0
नाप भूमि	2.96125 है0

आवश्यकता नहीं है।

आवश्यकता नहीं है।

आवश्यकता नहीं है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हाँ / नहीं)

नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ—साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता
(वचनवद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण
पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा।

सारणी 4 संलग्न है।

दिनांक.....
स्थान.....

प्रयोक्ता एजेंसी अधिकारी संरक्षण
नाम विमाण खण्ड, लो० नि० बि०
मेहर अल्मोड़ा

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)